

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक. एफ 15-4/2015/38-1  
प्रति,

रायपुर, दिनांक. /01/2016

आयुक्त  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
इंद्रावती भवन, नया रायपुर  
छ.ग.

विषय- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु राशि विमुक्त करने बाबत ।  
संदर्भ - आपके नस्ती क्रमांक 994/आउशि/2015 दिनांक 12/10/2015.

-----0-----

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ 24-31 /2014 /यू. पॉलिसी (सी.जी.मल्टी-जनरल, सी.जी.मल्टी-एस.सी, सी.जी.मल्टी-एस.टी.) दिनांक 30.09.2015 एवं 16.12.2015 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा वर्ष 2015-2016 के बजट में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रयोजन हेतु प्रावधानित राशि की केन्द्रांश राशि. रू. 23,85,00,000/- ( तेइस करोड़ पच्चासी लाख रू. मात्र) एवं राज्यांश राशि रू. 15,90,00,000/- ( पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख रू. मात्र) कुल राशि रू. 39,75,00,000/- ( उन्चालीस करोड़ पछत्तर लाख रू. मात्र ) के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2/ उक्त राज्यांश की राशि मांग संख्या 44-2202-03-001-0701-8971-99-001 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में से रू.12,32,25,000/- मांग संख्या 41-2202-03-001-0702-8971-99-001 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में से रू. 1,19,25,000/- तथा मांग संख्या 64-2202-03-001-0703-8971-99-001 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में से रू. 2,38,50,000/- कुल राशि रू. 15,90,00,000/- ( पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख रू. मात्र) विमुक्त किया जाना है ।

3/ वित्त निर्देश 6/2012 के अनुसार उक्त राशि विमुक्त हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम है। इस हेतु वित्त विभाग की सहमति यू.ओ. क्रमांक एफ 2015-38.00632 / बजट.3 / चार दिनांक 04.01.2016 द्वारा प्राप्त की गई है ।

4/ राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एवं राज्य उच्च शिक्षा परिषद के निर्णयानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

कमशः